

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांक: न्यायालय/न्यायशुल्क रिफण्ड/2019/ 6830


दिनांक- 15.06.2019

2019/00252

:: आदेश ::

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 02 भीलवाडा द्वारा प्रकरण सं. 154/2014 में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया है कि वादी अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल गफूर शेख निवासी दुकान नं. 41, भीलवाडा अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के पास, नागौरी गार्डन, भीलवाडा न्यायशुल्क राशि वापस प्राप्त करने के अधिकारी है और आदेशानुसार प्रकरण में रूपया 4,160/- अक्षरे चार हजार एक सौ साठ रूपये मात्र न्याय शुल्क लौटाये जाने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

अतः न्यायालय आदेशानुसार वादी अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल गफूर शेख निवासी दुकान नं. 41, भीलवाडा अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के पास, नागौरी गार्डन, भीलवाडा को 4,160/- अक्षरे चार हजार एक सौ साठ रूपये मद 0030 में वापिस करने (रिफण्ड) की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।


जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिलिपि:-

- 1 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 02 भीलवाडा को उनके प्रमाण पत्र क्रमांक 145 दिनांक 01.03.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2 प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें एवं संलग्न प्रपत्र पार्ट तृतीय की पूर्ति की जाकर सम्बन्धित न्यायालय में भिजावें।
- 3 कोषाधिकारी भीलवाडा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें।
- 4 वादी अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल गफूर शेख निवासी दुकान नं. 41, भीलवाडा अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के पास, नागौरी गार्डन, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति, बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।

-sd-
प्रभारी अधिकारी
न्यायालय अनुभाग